प्रारूप–घ

न्यायालय–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
(समक्ष –शिवकुमार कौशल)
RegistrationNo.ST/29/2025 Filing No.ST/1340/2025 CNR No.MP5201-0047501602-2025 Filing Date 08-05-2025 **(निर्णय तिथि 12/06/2026)** **(सत्र प्रकरण क्रमांक ST/29/2025)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (उत्कर्ष राज सोनी) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण कमांक–263/2025 मध्यप्रदेश राज्य विरूद्व संतोष परस्ते वगैरह (आरक्षी केन्द्र समनापुर, जिला डिण्डौरी म.प्र.) के अपराध क्रमांक 210/2024, अंतर्गत धारा–153ए, 295ए भा.दं.सं. एवं म. प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 5 से उद्भूत सत्र प्रकरण।

अभियोजन	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र समनापुर, जिला डिण्डौरी म0प्र0।
प्रतिनिधित्व द्वारा	अपर लोक अभियोजक श्री आर.के.दुबे ।
अभियुक्तगण	1. संतोष परस्ते पिता अजीत परस्ते उम्र 22 वर्ष, 2. संजय पिता बलदेवसिंह मरकाम उम्र 20 वर्ष, 3. अमित कुमार पिता प्यारेसिंह उम्र 24 वर्ष, 4. प्रमोद पिता प्यारेसिंह उम्र 28 वर्ष, 5. करन सिंह पिता कलठू सिंह मरावी उम्र 40 वर्ष, 6. छोट सिंह पिता बारेलाल धुर्वे उम्र 49 वर्ष, सभी निवासी ग्राम दिवारी चौकी अमरपुर, थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.) 7. जीतसिंह पिता जानूसिंह उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरिया, चौकी अमरपुर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.)।

प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री सेवकराम मरावी अधिवक्ता।

प्रारूप–ड

अपराध की तारीख	27.04.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	28.04.2024
आरोप–पत्र की तारीख	31.12.2024
आरोपों की विरचना की तारीख	26.11.2025
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	20.01.2026
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	07.05.2026
निर्णय की तारीख	12.06.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो की तारीख	12.06.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 468 बी.एन.एस.एस. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की
01	संतोष परस्ते	28.04.24		धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	दोषसिद्ध दोषसिद्ध दोषसिद्ध	निर्णय के पैरा 69 के अनुसार	28.04.2024 से 09.05.2024
02	संजय	28.04.24	09.05.24	धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	दोषसिद्ध दोषसिद्ध दोषसिद्ध	निर्णय के पैरा 69 के अनुसार	28.04.2024 से 09.05.2024

03	अमित कुमार	28.04.24	06.05.24	धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	दोषसिद्ध दोषसिद्ध दोषसिद्ध	निर्णय के पैरा 69 के अनुसार	28.04. 2024 से 06.05. 2024
04	प्रमोद	28.04.24	09.05.24	धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	दोषसिद्ध दोषसिद्ध दोषसिद्ध	निर्णय के पैरा 69 के अनुसार	28.04. 2024 से 09.05. 2024
05	करन सिंह	28.04.24	09.05.24	धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	दोषसिद्ध दोषसिद्ध दोषसिद्ध	निर्णय के पैरा 69 के अनुसार	28.04. 2024 से 09.05. 2024
06	छोट सिंह	28.04.24	09.05.24	धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	दोषसिद्ध दोषसिद्ध दोषसिद्ध	निर्णय के पैरा 69 के अनुसार	28.04. 2024 से 09.05. 2024
07	जीतसिंह	29.04.24	06.05.24	धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	दोषसिद्ध दोषसिद्ध दोषसिद्ध	निर्णय के पैरा 69 के अनुसार	29.04. 2024 से 06.05. 2024

प्रारूप – च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजनः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षूदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	अंगद सिंह मरावी	फरियादी साक्षी
अ.सा.2	अंगद सिंह बनवासी	पंच साक्षी
अ.सा.3	मतिया बाई	पंच साक्षी
अ.सा.4	शिवम पाठक	पंच साक्षी
अ.सा.5	दिनेश्वर राजपूत	अन्य साक्षी
अ.सा.6	पारस यादव	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षूदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.1	कौशल्या मरावी	बचाव साक्षी
ब.सा.2	सुदय सिंह मरावी	बचाव साक्षी

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षूदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजन

सं. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.1/अ.सा.01	लिखित शिकायत आवेदन

2.	प्र.पी.2 / अ.सा.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	प्र.पी.3 / अ.सा.01	घटना स्थल का मौका नक्शा
4.	प्र.पी.4 / अ.सा.01	संपत्ति जप्ती पत्रक
5.	प्र.पी.4ए / अ.सा.01	अभियुक्त संतोष का गिरफ्तारी पत्रक
6.	प्र.पी.5 / अ.सा.01	अभियुक्त संजय मरकाम का गिरफ्तारी पत्रक
7.	प्र.पी.6 / अ.सा.01	अभियुक्त अमित का गिरफ्तारी पत्रक
8.	प्र.पी.7 / अ.सा.01	अभियुक्त प्रमोद का गिरफ्तारी पत्रक
9.	प्र.पी.8 / अ.सा.01	अभियुक्त करन सिंह का गिरफ्तारी पत्रक
10.	प्र.पी.9 / अ.सा.01	अभियुक्त छोट सिंह का गिरफ्तारी पत्रक
11.	प्र.पी.10 / अ.सा.01	फरियादी के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन
12.	प्र.पी.11 / अ.सा.01	अभियुक्त प्रमोद के मेमोरेण्डम कथन
13.	प्र.पी.12 / अ.सा.01	अभियुक्त अमित के मेमोरेण्डम कथन
14.	प्र.पी.13 / अ.सा.01	अभियुक्त संजय मरकाम के मेमोरेण्डम कथन
15.	प्र.पी.14 / अ.सा.01	अभियुक्त संतोष परस्ते के मेमोरेण्डम कथन
16.	प्र.पी.15 / अ.सा.01	अभियुक्त करन सिंह के मेमोरेण्डम कथन
17.	प्र.पी.16 / अ.सा.02	संपत्ति जप्ती पत्रक
18.	प्र.पी.17 / अ.सा.02	संपत्ति जप्ती पत्रक
19.	प्र.पी.18 / अ.सा.02	संपत्ति जप्ती पत्रक
20.	प्र.पी.19 / अ.सा.02	संपत्ति जप्ती पत्रक
21.	प्र.पी.20 / अ.सा.02	संपत्ति जप्ती पत्रक
22.	प्र.पी.21 / अ.सा.04	शिवम पाठक के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन
23.	प्र.पी.22 / अ.सा.04	शिवम पाठक के पुलिस कथन
24.	प्र.पी.23 / अ.सा.05	साक्षी दिनेश्वर के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन
25.	प्र.पी.24 / अ.सा.06	साक्षी अंगद सिंह के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन
26.	प्र.पी.25 / अ.सा.06	अभियुक्त जीत सिंह धुर्वे का गिरफ्तारी पत्रक

ख. <u>प्रतिरक्षा</u> :–

सं. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	निरंक	निरंक

ग. <u>न्यायालयीन प्रदर्श</u> :–

सं. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	एम.ओ.ए / अ.सा.06	किताब
02	एम.ओ.बी / अ.सा.06	किताब
03	एम.ओ.सी / अ.सा.06	डायरी
04	एम.ओ.डी / अ.सा.06	कॉपी
05	एम.ओ.ई / अ.सा.06	टेक्नो कंपनी का मोबाईल
06	एम.ओ.एफ / अ.सा. 06	इनफिनिश कंपनी का मोबाईल
07	एम.ओ.जी / अ.सा.06	ओप्पो कंपनी का मोबाईल

घ. <u>आवश्यक वस्तुएं</u> :–

सं. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	निरंक	निरंक

::: निर्णय :::

(आज दिनॉक 12 / 06 / 2026 को घोषित किया गया)

(1) अभियुक्तगण पर धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 / 5 के अंतर्गत आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 27.04.2024 को समय 19:30 बजे स्थान सुदय मरावी का घर ग्राम पिपरिया समनापुर 481778 में अन्य सहआरोपी के साथ मिलकर फरियादी को प्रलोभन देकर ईशू धर्म में परिवर्तन करने का सामान्य आशय बनाया और उस सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को गरीबी व हर परेशानी दूर करने व बहुत सारा

पैसा देने का बोलकर तथा ईशू धर्म मानने का बोलकर धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्धन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य किया तथा फरियादी को तुम्हारा कोई भगवान नहीं है बोलकर उनके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य किया तथा फरियादी को गरीबी व हर परेशानी दूर करने व बहुत सारा पैसा देने का बोलकर तथा ईशू धर्म मानने का दुर्व्यपदेशन, प्रलोभन असम्यक् असर या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा फरियादी को प्रत्यक्षतः या अन्यथा संपरिवर्तित नहीं करेगा या प्रत्यक्षतः या अन्यथा एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरूद्ध संपरिवर्तित करने का प्रयास किया।

(2) अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अंगद सिंह मरावी ने घटना दिनांक 27.04.2024 को आरक्षी केन्द्र समनापुर में इस आशय की लिखित शिकायती आवेदन पत्र दिया कि वह ग्राम पिपरिया, किसानटोला का निवासी है। उसके पडोस में उसके चाचा का लडका सुदय मरावी अपने परिवार के साथ रहता है तथा कुछ दिनों से उसके घर में ग्राम दिवारी का रहने वाला करन सिंह मरावी एवं उसके साथी प्रमोद धुर्वे, अमित धुर्वे, संजय मरकाम, संतोष परस्ते, छोट सिंह धुर्वे के द्वारा सुदय मरावी के घर में आना–जाना कर ईसाई धर्म को अपनाने का प्रलोभन देकर धर्म बदलने का दबाव बना रहे हैं। उक्त घटना दिनांक को शाम करीब 07:30 बजे तीन मोटर सायकल में करन सिंह मरावी और उसके साथी अन्य पांच लोग सुदय मरावी के घर में आकर सुदय मरावी से बोल रहे थे कि तुम ईशु धर्म की प्रार्थना करके ईशु धर्म मानना चालू कर दो तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा।

(2.1) उक्त बात उसने सुदय मरावी के घर के बाहर खडे होकर सुना था। मौके पर ग्राम सरपंच अंगद बनवासी, उपसरपंच दिनेश राजपूत एवं उसकी भाभी मतिया बाई भी सुदय मरावी के घर के पास आ गये थे जिन्होंने भी उक्त बात सुने हैं कि करन सिंह मरावी एवं उसके साथियो के द्वारा सुदय मरावी को अपने साथ ईशु धर्म में मिल जाओ तो तुमको बहुत सारा पैसा, धन मिलेगा, तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे और तुम्हारी

हर परेशानी दूर हो जायेगी, अगर तुम लोग ईशु धर्म नहीं मानोगे तो तुमको उसके साथियो के साथ मिलकर इतना परेशान कर दूंगा कि तुम एक दिन मजबूर होकर उनके साथ मिलना पडेगा और देखता हूं कि कब तक तुम लोग नहीं मिलोगे। तुम्हारे भगवान कोई काम के नहीं है कहकर उनके धर्म एवं भगवान को अपमानित किये हैं। जबरन सुदय मरावी को धर्म बदलने को मजबूर कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने गांव के अन्य लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाये हैं। जिससे उनके परिवार एवं गांव के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और गांव का माहौल खराब हो रहा है कुछ लोगों के हाथ में ईशु धर्म की पुस्तकें कापियां थी। उक्ताशय की सूचना पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

(3) विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, मुलाहिजा फार्म, घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, अभियुक्तगण का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये गये, जप्ती पत्रक की कार्यवाही की गयी, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया तथा आवश्यक अन्वेषण उपरांत दिनांक 31.12.2024 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(4) दिनांक 08.05.2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा अभियोग पत्र श्रीमान् सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के न्यायालय को उपार्पित किया गया। उक्त प्रकरण अंतरण पश्चात् दिनांक 17.10.2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

(5) अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोप विरचित कर उसे पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार किया और विचारण की मांग की। अभियुक्तगण का धारा–313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण को द.प्र.सं. की धारा 233 (1) के तहत बचाव में प्रवेश कराने पर अभियुक्त द्वारा बचाव

साक्ष्य देना व्यक्त करते हुये अभियुक्तगण की ओर से बचाव के रूप में कौशल्या मरावी ब.सा.1 एवं सुदय मरावी ब.सा0 2 को कथन न्यायालय में कराये हैं।

(6) **अब विचारणीय प्रश्न यह है कि:—**

01. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 27.04.2024 को समय 19:30 बजे स्थान सुदय मरावी का घर ग्राम पिपरिया समनापुर 481778 में अन्य सहआरोपी के साथ मिलकर फरियादी को प्रलोभन देकर ईशू धर्म में परिवर्तन करने का सामान्य आशय बनाया और उस सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को गरीबी व हर परेशानी दूर करने व बहुत सारा पैसा देने का बोलकर तथा ईशू धर्म मानने का बोलकर धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्धन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य किया ?

02. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को तुम्हारा कोई भगवान नहीं है बोलकर उनके धर्म या धार्मिक विश्वासो का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य किया ?

03. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को गरीबी व हर परेशानी दूर करने व बहुत सारा पैसा देने का बोलकर तथा ईशू धर्म मानने का दुर्व्यपदेशन, प्रलोभन असम्यक् असर या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा फरियादी को प्रत्यक्षतः या अन्यथा संपरिवर्तित नहीं करेगा या प्रत्यक्षतः या अन्यथा एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरूद्ध संपरिवर्तित करने का प्रयास किया ?

//विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार//

//विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगायत 03//

(7) उक्त तीनों ही विचारणीय प्रश्न एक–दूसरे से संबंधित होकर एक ही घटना एवं संम्व्यवहार में घटित हुए है, जिससे साक्ष्य की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने एवं सुविधा की दृष्टि से उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

(8) अंगद सिंह मरावी (अ.सा.1) ने आरोपी करन सिंह, जीतसिंह, प्रमोद, अमित कुमार, संजय, संतोष एवं छोटासिंह की पहचान करते हुए साक्ष्य दी है कि घटना दि. 27.04.24 को उसके चाचा के लड़के सुदय मरावी के घर में सभी आरोपीगण उनके पूर्वजों के पूजा स्थान पर अपने ईसाई धर्म का पूजा करने लगे। जानकारी पर वह अपने पिता, चाचा, एवं चाचा के अन्य लड़के राजेश के साथ मौके पर पहुंचा तथा उन्हे पूजा करने से मना किया, नहीं मानने पर गॉव के सरपंच अंगद, उप सरपंच को व अन्य को मौके पर बुलाया।

(9) साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी साक्ष्य दी है कि सभी आरोपीगण बोल रहे थे, ईसाई धर्म सबसे अच्छा है, उसके मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, ईसाई धर्म को मानने से किसी भी प्रकार की रोग बाधा नहीं होती है। हिन्दू धर्म तुच्छ होता है, मना करने पर धमकी देने लगे। साक्षी ने यह भी साक्ष्य दी है कि आरोपीगण उसके धर्म की निंदा करते हुए ईसाई धर्म का प्रचास प्रचार–प्रसार करने से उनके हिन्दू धर्म का अपमान हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर आई थी, तथा कार्यवाही की थी। उन्होने घटना की रिपोर्ट लिखित में पेश की थी।

(10) साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपीगण के विरूद्ध मामला बन जाने से पूर्व में उनके घर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियॉ एवं अन्य पूजन सामग्री को फेंक दिया है, व चाचा धोकल ने उसे बताया था कि आरोपीगण ने घर के पूजा स्थान में पेशाब कर दिये। साक्षी ने प्र.पी. 1 का आवेदन थाना समनापुर में दिया जाना व प्र.पी. 2 की प्र.सू.रि. लेखबद्ध कराया जाना व पुलिस द्वारा मौका नक्शा प्र.पी. 3 बनाया जाना तथा समस्त

दस्तावेजों के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार किया है। यह भी साक्ष्य दी है कि पुलिस द्वारा आरोपीगण द्वारा लाई गई ईसाई धर्म की किताब, मोबाईल व मो.सा. की जब्ती की थी, व पूछताछ कर उनके कथन लेखबद्ध किए थे।

(11) प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि उसका और सुदय सिंह का घर एक ही केम्पस में है, जहॉ देवी देवता का स्थान है, तथा सुदय सिंह के घर में आरोपीगण पुत्री के जन्मदिन के अवसर पर एकत्रित हुए थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण से पुरानी रंजिस होने के कारण उनके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट की है।

(12) पुनः परीक्षण में साक्षी ने पुलिस द्वारा सभी आरोपीगण से पूछताछ किया जाना व आरोपी प्रमोद के मेमो प्र.पी. 11, अमित के मेमो कथन प्र.पी. 12, संजय मरकाम के मेमो प्र.पी. 13, संतोष परस्ते के मेमो प्र.पी. 14, करन सिंह के मेमो प्र.पी. 15 के ए से ए भाग पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

(13) अंगद सिंह बनवासी (अ.सा.2) द्वारा उक्त अभियोजन तथ्य के समर्थन में साक्षी ने बताया कि दि. 27.04.2024 की शाम 8 बजे अंगद मरावी के केम्पस की है। अंगद के फोन करने पर वह मौके पर गया था, जहॉ ईसाईयों का कार्यक्रम चल रहा था, सभी आरोपीगण सुदय सिंह के घर में थे। घर के बाहर गंगा परस्ते, दिनेश्वर, मुकादम शिवराम आदि थे। उन्होने बताया कि सुदय मरावी दरवाजा नहीं खोल रहा है। उन्होने पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस मौके पर आई थी, तथा सभी को थाने ले गई थी। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण से बाईबल की किताबें जब्त की थी। प्र.पी. 4 के जब्ती पत्रक के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। करन सिंह से मो.सा. की जब्ती प्र.पी. 16, छोटा सिंह से मोबाईल जब्ती पत्रक प्र.पी. 17, अमित सिंह से नोटबुक, मोबाईल की जब्ती प्र.पी. 18, संजय मरकाम से डायरी, मो.सा., मोबाईल की जब्ती प्र.पी. 19 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

(14) साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी

का कहना है कि आरोपीगण दि. 27.04.2024 को सुदय मरावी के घर के पास ईशू धर्म की चर्चा कर रहे थे। वहॉ पर अंगत, मतिया, दिनेश्वर भी मौजूद थे। वह कुछ दिनों से सुदय के घर में करन सिंह मरावी, प्रमोद, अमित, संजय, संतोष, छोटेसिंह आना–जाना करके ईशू धर्म को अपनाने का प्रलोभन दे रहे थे, तथा आरोपीगण सुदय से बोल रहे थे। तुम ईशू धर्म मानना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी दुख परेशानी दूर हो जायेगी, तथा तुम्हारा भगवान तुम्हारे काम का नहीं है। उन्हे घर से फेंक दो, पूजा पाठ बंद कर दो, सिर्फ ईशू ही सबकुछ है। साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपीगण उनके धर्म व भगवान को अपमानित कर रहे थे।

(15) अपने साक्ष्य के पैरा 6 में साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपीगण घटना दि. को सुदय मरावी के घर में ईशू धर्म का प्रचार करने एवं हिन्दू धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से बैठे थे, तथा उन्होने उनके गॉव के गई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। आरोपीगण ईशू धर्म का प्रचार कर रहे थे, और उनके धर्म को अपमानित कर रहे थे। इस बात से ही उनका विवाद हुआ था, तथा पुलिस बुला लिया था। आरोपीगण के कृत्य से उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, ऐसा ही बयान उसके द्वारा पुलिस को दिया था।

(16) प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि सुदय एवं अंगद का घ ार दूर–दूर है, उसे नहीं मालूम कि 27 अप्रेल को सुदय की पुत्री का जन्म दिन था, जिसे मनाने के लिए आरोपीगण इकट्ठा हुए थे। पैरा 9 में साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपीगण ने कभी भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव नहीं बनाया। पैरा 10 में साक्षी का कहना है कि घटना दि. को सुदय के घर में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। वहॉ पर 6–7 पुरूष व 6–7 महिलाऍ थी। उस कार्यक्रम में उसे नहीं बुलाया था, वह अंगद सिंह मरावी के बुलाने पर मौके पर गया था।

(17) मतिया बाई (अ.सा.3) ने आरोपी करन सिंह, जीतसिंह, प्रमोद, अमित, संजय, संतोष, छोटासिंह की पहचान करते हुए साक्ष्य दी है कि घ टना एक वर्ष पूर्व शाम के 7 बजे उसके घर की है। आरोपीगण ईसाई धर्म की प्रार्थना करने आये थे। उन्होने परिवार के सुदय मरावी को रूपये का

लालच देकर ईसाई धर्म मानने के लिए सम्मिलित कर लिया है। आरोपीगण उनके देवी देवताओं को अस्त व्यस्त कर दिए। मना करने पर भी नहीं मान रहे थे। सुदय की पत्नी कौशल्या ने 100 डम्बर डायल कर पुलिस को बुलाया था, आरोपीगण ने सुदय के कमरे में ताला बंद कर दिया था। पुलिस ने आकर ताला खुलवाया था।

(18) साक्षी का यह भी कहना है कि सरपंच अंगद सिंह, व अन्य लोगों ने भी आरोपीगण से धर्म परिवर्तन कराने को मना किया था, किन्तु आरोपीगण नहीं माने, व उनके देवी देवताओं को फेंक दिए। आरोपीगण द्वारा उनके घर में ईशू धर्म का प्रचार करने से उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। आरोपीगण से पुलिस ने बाईबल की पुस्तक भी जब्त की थी।

(19) प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि उनके धर्म में धर्म से सम्बंधित कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा कथन उसने पुलिस को नहीं दिया था। आरोपीगण कहॉ रहते हैं, उसे नहीं मालूम। लेकिन वे ईसाई वाले हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। घटना के समय वह कमरे के बाहर थी, घर के अंदर प्रार्थना हो रही थी, लेकिन कोई धर्म से सम्बंधित दबाव नहीं दिया जा रहा था। साक्षी ने पैरा 8 में यह भी बताया कि गॉव में ठाकुर देव को मानते हैं, उनका निश्चित स्थान होता है, जहॉ लोक पूजा करते हैं, तथा सभी अपने– अपने घरों में हिन्दू देवी देवता स्थापित करते हैं, तथा वह स्वयं गोंड़ी धर्म मानती है, जिसमें खम्बा गाड़ते हैं, नारियल सुपाड़ी रखते हैं, खड़ग व ध्वज लगाते हैं।

(20) पुजारी शिवम पाठक (अ.सा.4) ने साक्ष्य दी है कि दि. 27.04.2024 को रात 8 बजे अंगद मरावी ने फोन करके मौके पर बुलाया था, तो वह सरपंच के साथ सुदय सिंह के घर गया था। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस आई, तथा दरवाजा खुलवाकर घर में मौजूद लोगों को थाना समनापुर ले गई, उसे जानकारी मिली थी कि सुदय सिंह के घर में जिन लोगों को पुलिस ले गईथी, वे लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे। साक्षी ने प्र.पी. 21 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

(21) साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह

स्वीकार किया है कि करन सिंह, प्रमोद, अमित, संजय मरकाम, संतोष परस्ते, छोटेसिंह, सुदय मरावी के घर पर आना–जाना करके ईशू धर्म अपनाने का प्रलोभन देकर धर्म बदलने का दबाव बना रहे थे, तथा उसके सामने करन मरावी व अन्य 5–6 साथी सुदय मरावी के घर में बोल रहे थे, कि तुम ईशू धर्म का प्रार्थना करके ईशू धर्म मानना चालू कर दो, तुम्हे पैसा मिलेगा। तथा सुदय मरावी से बोल रहे थे, कि तुम ईशू धर्म में मिल जाओ, तुमको पैसा मिलेगा, तुम्हारी गरीबी व परेशानी दूर हो जायेगी। ईशू धर्म में नहीं मिलोगे तो जबरदस्ती ईशू धर्म में मिला देंगे। उक्त बात उसने घर के बाहर खड़े होकर सुने। आरोपीगण यह भी बोली रहे थे कि तुम्हारा कोई भगवान नहीं है, ईशू ही सबसे बड़ा भगवान है तथा वे ईशू धर्म का प्रचार कर रहे थे।

(22) प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि सुदय के घर में बच्ची का जन्मदिन मन रहा था, इसलिए भीड़ लगी थी, वह घर के बाहर खड़ा था। घर के अंदर क्या चल रहा था, उसे नहीं मालूम। 100 नम्बर डायल करने पर पुलिस आ गई थी, व घर के अंदर के लोगों को गाड़ी उठाकर थाने ले गई थी। उसने स्वयं ने आरोपीगण को सुदय के घर आते–जाते नहीं देखा।

(23) दिनेश्वर राजपूत (अ.सा.5) आरोपियों को जानता है, घटना दि. को सुदय मरावी के घर से आवाज आ रही थी, कि ईसाई धर्म मानने वाले आये हैं, तथा पूजा पाठ कर रहे हैं, तब वह सुदय के घर तरफ गया। दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर खड़े बहुत से लोग दरवाजा खुलवा रहे थे, लेकिन वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे। पुलिस ने आकर दरवाजा खुलवाया तथा घर के अंदर से आरोपीगण को थाना समनापुर ले गई व आरोपीगण से उनके सामने पूछताछ की थी। मोबाईल, बाईबल की पुस्तक, मो.सा. की जब्ती की थी, जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। साक्षी ने प्र.पी. 11 लगायत प्र.पी. 15 के मेमो एवं प्रपी. 4, 16, 17 लगायत 20 की जब्ती पत्रक पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, तथा प्र.पी. 23 का कथन भी दिया जाना बताया है। पुलिस को उसने बताया था कि आरोपीगण ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे एवं कह रहे थे कि हमारा धर्म अपना लो, जो व्यक्ति ईसाई धर्म

अपना लेगा वह सुखी और चंगा रहेगा। अपने धर्म में रहोगे तो दुखी रहोगे, इस कारण वे उनके धर्म का अपमान कर रहे थे।

(24) प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि वह गॉव का उप सरपंच है, घटना रात के 8 बजे की है, वह सुदय मरावी के घर के बाहर था। आरोपीगण ने सीधे उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा, स्वतः कहा उसके समक्ष गॉव के अन्य लोगों से आरोपीगण ने ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया था। अतः घटना के पूर्व भी आरोपी जीत सिंह के घर अन्य आरोपीगण कई बार आते–जाते थे, तथा उसने जीत सिंह के घर में ईसाई धर्म का पूजा–पाठ करते सुना है।

(25) पारस यादव (अ.सा.6) थाना समनापुर में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अप.क्र. 210/24 अंतर्गत धारा 153ए, 295ए/34 भा.दं. सं एवं 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की विवेचना दौरान फरियादी की निशादेही से प्र.पी. 3 का नक्शा मौका तैयार किया था। साक्षी अंगद मरावी, दिनेश्वर राजपूत, अंगद बनवासी, शिवम पाठक, माया बाई, उदय सिंह, कौशल्या मरावी आदि के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के पश्चात् साक्षी अंगद सिंह, दिनेश्वर, अंगद सिंह मरावी, शिवम पाठक की न्यायिक मजि. के समक्ष प्र.पी. 10, 21, 23, 24 के कथन लेखबद्ध करवाये थे। पुलिस ने उसके समक्ष प्रमोद धुर्वे, अमित धुर्वे, संजय मरकाम, संतोष परस्ते, करन सिंह का पूछताछ मेमो प्र.पी. 11 लगायत 15 लेखबद्ध किया था। जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(26) विवेचना दौरान प्रमोद धुर्वे द्वारा ईसाई धर्म से सम्बंधित पुस्तक जिस पर लिखा था कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का द्द ार कहलायेगा, लेख था, पेश करने पर जब्त की थी। जो न्यायालय के समक्ष पेश की गई, जिसे जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 है। विवेचना दौरान प्र.पी. 16 लगायत 19 का जब्ती पत्रक साक्षीगण के समक्ष बनाये थे। जिनके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(27) इसी प्रकार संतोष परस्ते द्वारा पेश करने पर ईसाई धर्म प्रचार सामग्री एवं एक मोबाईल ओप्पो कंपनी का जिस पर जिओ सिम क्रमांक

8234016195 लगी हुई थी, जब्त कर प्र.पी. 20 का जब्ती पत्रक तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर प्र.पी. 4 लगायत 9 का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। साक्षी का यह भी कहना है कि सउनि. जगदीश धूमकेती ने फरियादी अंगद सिंह मरावी के प्र.पी. 1 के आवेदन के आधार पर अप.क्र. 210/24 दर्ज किया था। जिसके प्र.सू.रि. प्र.पी. 2 है, जिसके बी से बी भाग पर जगदीश धूमकेती के हस्ताक्षर है, जिन्हे वह पहचानता है।

(28) साक्षी का कहना है कि एक नोटबुक जिस पर सूर्य किरण अंग्रेजी में लिखा था, अंदर प्रथम पृष्ठ पर अमित कुमार लिखा था, अमित से जब्त कर प्र.पी. 18 का जब्ती पत्रक बनाया था, जिसे न्यायालय के समक्ष **एमओबी** से चिन्हित किया गया। एक कत्थई कलर की डायरी जिसके प्रथम पृष्ठ पर संजय मरकाम एवं परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेखबद्ध था, संजय मरकाम से जब्त कर प्र.पी. 19 का जब्ती पत्रक बनाया था। जिसे न्यायालय के समक्ष **एमओसी** से चिन्हित किया गया। इसी प्रकार एक कॉपी जिसके मृख्य पृष्ठ पर चेतना प्रिंट है, एवं संतोष परस्ते लेख है, संतोष परस्ते द्वारा पेश करने पर जब्त कर प्र.पी. 20 का जब्ती पत्रक बनाया था। जिसे न्यायालय के समक्ष **एमओडी** से प्रदर्शित किया गया।

(29) इसी साक्षी का कहना है कि उसने विवेचना दौरान हरे पेपर में एक अन्य सफेद कपड़े में सीलबंद पैकेट में 5 मोबाईल जो न्यायालय के समक्ष पेश किए गये। आरोपीगण द्वारा पेश करने पर जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया था। प्रमोद धुर्वे द्वारा टेक्नो कंपनी का मोबाईल पेश करने पर जब्त कर प्र.पी. 4 का जब्ती पत्रक बनाया था, जिसे न्यायालय के समक्ष **एमओई** से प्रदर्शित किया गया, व इनफिनिश कंपनी का मोबाईल जो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, साक्षी का कहना है कि छोटेसिंह के द्वारा पेश करने पर प्र.पी. 17 का जब्ती पत्रक बनाया था, जिसे न्यायालय के समक्ष **एमओएफ** से प्रदर्शित किया गया।

(30) इसी साक्षी का कहना है कि उसने विवेचना दौरान न्यायालय के समक्ष पेश विवो कंपनी का मोबाईल अमित धुर्वे द्वारा पेश करने पर जब्त कर प्र.पी. 18 का जब्ती पत्रक बनाया था। जिसे न्यायालय के समक्ष **एमओजी** से प्रदर्शित किया गया। रेडमी कंपनी का मोबाईल आरोपी संजय

मरकाम द्वारा पेश करने पर जब्त कर प्र.पी. 19 का जब्ती पत्रक बनाया था, जिसे न्यायालय के समक्ष एमओएच से प्रदर्शित किया गया है। व ओप्पो कंपनी का मोबाईल जो न्यायालय के समक्ष पेश है, जो **एमओएच** से प्रदर्शित किया गया, संतोष परस्ते द्वारा पेश करने पर प्र.पी. 20 के जब्ती पत्रक अनुसार जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया था।

(31) प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दि. 27.04.2024 की शाम के 7 बजे की है, थाने में सूचना दि. 28.04.2024 को 01.24 बजे प्राप्त हुई थी, विलंब का कारण प्र.सू.रि. प्र.पी. 2 में उल्लेखित नहीं है, तथा उसके द्वारा मौका नक्शा में सुदय एवं अंगद मरावी के घर के दूरी का उल्लेख प्र.पी. 3 में लेखबद्ध नहीं किया है। जब्तशुदा सामग्रियों में धर्म के अपमान के सम्बंध में उसे पढ़ने देखने को नहीं मिला, तथा सुदय मरावी के घर पर क्या कार्यवाही चल रहा था, उसे नहीं मालूम, तथा उसने जब्ती के गवाहों के हस्ताक्षर थाने में करवाये थे, व जब्तशुदा मोबाईल की कॉल डिटेल प्राप्त नहीं की है।

(32) आरोपीगण संतोष परस्ते पिता अजीत परस्ते उम्र 22 वर्ष, संजय पिता बलदेवसिंह मरकाम उम्र 20 वर्ष, अमित कुमार पिता प्यारेसिंह उम्र 24 वर्ष, प्रमोद पिता प्यारेसिंह उम्र 28 वर्ष, करन सिंह पिता कलटू सिंह मरावी उम्र 40 वर्ष, छोट सिंह पिता बारेलाल धुर्वे उम्र 49 वर्ष एवं जीतसिंह पिता जानूसिंह उम्र 48 वर्ष ने अपने न्यायालय परीक्षण में बताया है कि वे निर्दोष है, उन्हे झूंठा फंसाया है, बचाव में बचाव साक्षी कौशल्या मरावी ब.सा. 1 एवं सुदय सिंह मरावी ब.सा. 2 की साक्ष्य पेश की है।

(33) कौशल्या मरावी (ब.सा.1) ने आरोपी करन, जीतसिंह, प्रमोद, अमित कुमार ,संजय, संतोष, छोटेसिंह की पहचान की है, तथा साक्ष्य दी है कि दि. 27.04.2024 को रात 8 बजे, उसके पुत्री दिव्या मरावी जन्मदिन में गॉव के रिश्तेदार एवं दूसरे लोग भी आये थे। उसने अंगद सिंह मरावी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया था, अंगद सिंह मरावी गॉव के लोगों को बुलाकर शराब पिलाकर जन्मदिन के कार्यक्रम में हल्ला मचाकर मारपीट की धमकी दे रहा था, तो उसने पुलिस हेल्पलाईन में फोन लगाय था। पुलिस मौके पर आई थी, तथा उसके आदमी को बांधकर ले गई थी।

(34) प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि घटना दि. को उसके घर में सभी आरोपीगण आये थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके पति मानसिक स्वास्थ्य के लिए चर्च जाता था, तथा इस बात से भी इंकार किया है कि वह प्रति रविवार चर्च जाती थी, व ईसाई धर्म पर विश्वास करती थी। इस बात से भी इंकार किया है कि सभी आरोपीगण पैसे व बीमारी का प्रलोभन देकर उसे ईसाई धर्म में मिलने का लालच देते थे।

(35) साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि पुलिस द्वारा झूंठा प्रकरण बनाने के कारण उसने पुलिस अधिकारी को सूचना नहीं दी, तथा साक्ष्य दी है कि एसपी. कार्यालय में शिकायत की थी। इस बात से भी इंकार किया है कि वह ईसाई धर्म मानने लगी है, इस कारण आरोपीगण के प्रभाव में है।

(36) सुदय सिंह मरावी बसा. 2 ने भी आरोपीगण की पहचान की है, तथा बताया है कि करन, जीतसिंह, प्रमोद, अमित कुमार ,संजय, संतोष, छोटेसिंह की पहचान की है, तथा साक्ष्य दी है कि दि. 27.04.2024 को रात 8 बजे, उसके पुत्री दिव्या मरावी जन्मदिन में गॉव के रिश्तेदार एवं दूसरे लोग भी आये थे। उसने अंगद सिंह मरावी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया था, अंगद सिंह मरावी गॉव के लोगों को बुलाकर शराब पिलाकर जन्मदिन के कार्यक्रम में हल्ला मचाकर मारपीट की धमकी दे रहा था, तो उसने पुलिस हेल्पलाईन में फोन लगाय था। पुलिस मौके पर आई थी, तथा उसके आदमी को बांधकर ले गई थी।

(37) प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि आरोपीगण पहले घर आये थे। पुलिस और गांव के लोग बाद में आये थे। इस बात से इंकार किया है कि उनके घर में ईसाई धर्म का प्रचार चल रहा था, दूसरे लोग समझा बुझा रहे थे। इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस को कोई कथन दिया था। इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण को बचाने के लिए उनसे मिलकर न्यायालय के समक्ष सही बात नहीं बता रहा है।

(38) अभियोजन एवं बचाव पक्ष की उक्त साक्ष्य के अतिरिक्त जहॉ तक अभिलेख का अवलोकन किया जाए तो फरियादी अंगद सिंह

मरावी द्वारा दि. 27.04.2024 समय शाम 7.30 बजे की घटना की सूचना दि. 28.04.2024 को रात 1.24 बजे पुलिस को दी गई थी। जिसके तथ्य प्र.पी. 1 व प्र.पी. 2 के दस्तावेज में उल्लेखित है, जिसके ए से ए भाग पर फरियादी अंगद सिंह मरावी द्वारा अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाया जाना बताया है।

(39) महत्वपूर्ण यह है कि उक्त सभी साक्षीगण आरोपी करन सिंह, जीत सिंह, प्रमोद, अमित कुमार, संजय, संतोष एवं छोटा सिंह की विनिर्दिष्ट पहचान न्यायालय के समक्ष की है। उक्त सम्बंध में साक्षी अंगद सिंह मरावी अ.सा. 1, अंगद सिंह बनवासी अ.सा. 2, शिवम पाठक अ.सा.0 4, दिनेश्वर राजपूत अ.सा. 5 द्वारा मुख्य परीक्षण में दी गई साक्ष्य को एकरूपता में देखी जाए तो सभी साक्षीगण ने यह बताया है कि अंगद सिंह मरावी अ.सा. 1 ने फोन पर उन्हे घटना की सूचना दी थी, कि सुदय सिंह जो उसके चाचा के लड़का है, के घर पर आरोपीगण ईसाई धर्म की पूजा कर रहे हैं, तथा उनके धर्म स्थान पर पूजा करने से मना कर रहे हैं।

(40) उक्त सभी साक्षीगण की साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि सभी आरोपीगण सुदय सिंह के घर में उपस्थित होकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, मना करने पर विवाद करने लगे तथा घर का दरवाजा बंद कर लिया। उक्त सभी साक्षीगण की साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि आरोपीगण एकमत से उन्हे बोल रहे थे कि ईसाई धर्म अच्छा है, उस धर्म को मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा है। ईसाई धर्म को मानने से किसी प्रकार की रोग बाधा नहीं होती है।

(41) इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट है कि आरोपीगण यह भी बोल रहे थे कि हिन्दू धर्म तुच्छ है, तथा उन्होने अंगद सिंह मरावी एवं मतिया बाई के घर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों एवं अन्य पूजन सामग्री को फेंक दिया तथा पेशाब की।

(42) साक्षी अंगद सिंह बनवासी (अ.सा.–2) शिवम पाठक (अ.सा. –4) ने यह बताया है कि मौके पर अंगद सिंह मरावी द्वारा फोन करने पर गये थे, वहॉ पर सभी आरोपीगण ईशू धर्म को अपनाने का प्रलोभन अंगद

सिंह, मतिया बाई, दिनेश्वर को दे रहे थे तथा बोल रहे थे, ईशू धर्म को मानने से दुख–परेशानी दूर हो जायेगी, तुम्हारा भगवान कोई काम का नहीं है, उसे घर से फेंक दो, पूजा पाठ बंद कर दो, ईशू ही सबकुछ है। हिन्दू धर्म एवं भगवान को बार–बार अपमानित कर रहे थे तथा ईशू धर्म का प्रचार कर रहे थे।

(43) साक्षी अंगद सिंह बनवासी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने गॉव के कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, तथा वे धर्मपरिवर्तन का प्रलोभन देकर धमकाया था, इस कारण विवाद हुआ था तथा आरोपीगण ने ही पुलिस को बुला लिया था। आरोपीगण उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। जबकि शिवम पाठक (अ.सा.–4) ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्षी अंगद सिंह मरावी के साक्ष्य का पूर्ण समर्थन किया है तथा पैरा 3 में बताया है कि आरोपीगण सुदय मरावी के घर आना–जाना कर ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन देकर ईशू धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दे रहे थे, तथा सुदय मरावी से बोल रहे थे कि तुम ईशू धर्म में मिल जाओ, तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, तुम्हारी गरीबी व परेशानी दूर हो जायेगी। तुम्हारा कोई भगवान नहीं है, ईशू ही सबसे बड़ा भगवान है। ईशू धर्म अपना लो, नहीं तो तुम्हे ईशू धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर देगें। साक्षी ने प्र.पी. 22 के पुलिस कथन का भी समर्थन किया है।

(44) यद्यपि प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह घर के बाहर खड़ा था, घर के अंदर क्या चल रहा था, उसे नहीं मालूम। जबकि साक्षी दिनेश्वर राजपूत (अ.सा.–5) ने भी अपने साक्ष्य में फरियादी अंगद सिंह मरावी के साक्ष्य का पूर्ण समर्थन किया है। यद्यपि उक्त सभी साक्षीगण का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष द्वारा किया गया है लेकिन अभियोजन साक्षी इस तथ्य पर एकमत रहे हैं कि सुदय मरावी के घर पर सभी आरोपीगण एकत्रित होकर ईशू धर्म का प्रचार–प्रसार करते हुए हिन्दू धर्म को अपमानित कर रहे थे, व ईशू धर्म अपनाने का प्रलोभन दे रहे थे।

(45) उक्त सम्बंध में मतिया बाई (अ.सा.–3) की साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है कि घटना उसके घर की है तथा उसने सभी आरोपीगण की पहचान

करते हुए यह साक्ष्य दी है कि आरोपीगण ने सुदय मरावी को रूपये का लालच देकर ईसाई धर्म मानने के लिए सम्मिलित कर लिया तथा उनके देवी देवताओं को अस्त व्यस्त कर दिया। मौके पर विवाद होने से आरोपीगण ने स्वयं को सुदय को कमरे में बंद कर दिया एवं सुदय की पत्नी कौशल्या ने 100 नम्बर डायल कर पुलिस को बुलाया। तब पुलिस ने दरवाजा खुलवाया था।

(46) घटना के पूर्व सरपंच अंगद सिंह बनवासी ने भी धर्म परिवर्तन कराने से मना किया था, किन्तु आरोपीगण मान नहीं रहे थे तथा उनके देवी देवताओं को फेंक दिए थे। आरोपीगण ने उसके घर में ईशू धर्म का प्रचार कर उनकी भावनाओं को ठेस पहॅुचाया है। आरोपीगण से बाईबिल की किताब जब्त की गई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसे बोल रहे थे कि तुम्हारे देवी देवताओं में कुछ नहीं है, उनको छोड़ो, हमारे धर्म में मिल जाओ। पैरा 6 में साक्षी का कहना है कि सुदय उसका देवर है।

(47) उपरोक्त सभी साक्ष्य से यदि यह मान भी लिया जाये कि सुदय मरावी के घर पर उसकी बेटी के जन्मदिन का कार्यक्रम था, तब समस्त साक्षीगण अंगद सिंह बनवासी, मतियाबाई, शिवम पाठक, दिनेश्वर राजपूत ने एकमत में यह साक्ष्य दी है कि घटना स्थल पर बहुत से लोग इकट्ठा थे, आरोपीगण ईशू धर्म का प्रचार करके ईशू धर्म अपनाने का प्रलोभन दे रहे थे, व हिन्दू धर्म का अपमान कर रहे थे, मना करने पर भी नहीं मान रहे थे। विवाद होने पर सुदय के घर के कमरे में अंदर बंद हो गए तथा फरियादी/साक्षीगण द्वारा दरवाजा खोलने का प्रयास करने पर भी उन्होने दरवाजा नहीं खोला। तब विवाद बढ़ने पर सुदय की पत्नी कौशल्या ने नम्बर 100 डायर कर पुलिस को बुलाया था, तत्पश्चात् पुलिस आकर सभी आरोपीगण को थाने ले गई। उपरोक्त सभी साक्ष्य से इस स्तर पर आरोपीगण एवं सभी साक्षीगण की विनिर्दिष्ट उपस्थिति प्रमाणित मानी जाती है। सभी साक्षीगण की साक्ष्य भी अभियोजन घटना के तथ्य के सम्बंध में प्रथम दृष्टि में एकरूपता लिए हुए है।

(48) जहॉ तक वैधानिक प्रावधानों का प्रश्न है, धारा 153ए भा.द.सं,

धारा 295ए भा.द.सं एवं 3 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 अनुसार –

धारा 153ए भा.दं.सं– धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना–(1) जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक–प्रशांति में विघ्न डालता है, या जिससे उसमें विघ्न पड़ना संभाव्य हो, " अथवा,

(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह संभाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे अथवा ऐसे क्रिया–कलाप में इस आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, यह संभाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक

समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसे क्रिया–कलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

इसी प्रकार धारा 295ए भा.दंसं. के अनुसार–*विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासो का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों – जो कोई भारत के नागरिकों के, किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान, उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा, करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष, तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।*

इसी प्रकार ***धारा 3 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के अनुसार–*** *एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरूद्ध संपरिवर्तन का प्रतिषेध– कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, प्रलोभन, धमकी या बल प्रयोग, असम्यक् असर, प्रपीड़न, विवाह या किसी अन्य कपटपूर्वक साधन द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा संपरिवर्तित नहीं करेगा या प्रत्यक्षतः या अन्य संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा।*

ख– ऐसे संपरिवर्तन का दुष्प्रेरण या षडयंत्र नहीं करेगा।

(49) प्रकरण में अनुसंधान के दौरान बनाया गया नक्शा मौका प्र. पी. 3 जो फरियादी अंगद सिंह मरावी की निशादेही से बनाया गया है, के अनुसार भी सुदय मरावी का घर के पास ही देव स्थान है, जिसके पास दलसिंह मरावी का घर है। ग्राम सरपंच, मतिया बाई, फरियादी अंगद सिंह

मरावी का मकान, गौशाला आसपास ही है। तथा साक्ष्य अनुसार भी सभी स्थान 10–15 मीटर से लेकर 400 मीटर के मध्य के हैं। तथा घटना के समय सुदय सिंह के घर पर ईशू धर्म का प्रचार का कार्यक्रम होने पर सभी साक्षीगण उपस्थित हुए थे।

(50) अभियोजन साक्ष्य अनुसार अंगद सिंह बनवासी के प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 अनुसार आरोपीगण ने उनके गॉव के कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था, तथा अन्य अभियोजन साक्ष्य अनुसार अमित सिंह के घर भी आते थे, तथा उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया था तथा घटना के समय वे धर्म का प्रचार करने सुदय सिंह के घर पर इकट्ठा हुए थे। उक्त तथ्य का भी बचाव पक्ष द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिपरीक्षण दौरान खण्डित किया गया हो, अभिलेख पर साक्ष्य में दर्शित नहीं है। आरोपीगण एवं फरियादीगण का पूर्व रंजिश हो ऐसा भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। घटना के समय सुदय सिंह की लड़की का जन्मदिन मात्र मनाया जा रहा था, और कोई कार्य घ ाटना स्थल पर नहीं हो रहा था, साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, न ही उक्त सम्बंध में कोई विनिर्दिष्ट बचाव साक्ष्य पेश की गई है।

(51) यद्यपि बचाव साक्षी सुदय सिंह मरावी (ब.सा.–2) कौशल्या मरावी (ब.सा.–1) ने अपने साक्ष्य में बताये हैं कि उनकी बच्ची दिव्या का जन्मदिन घटना दिनॉक व समय पर मनाया जा रहा था। अंगद मरावी को नहीं बुलाया था, इस कारण उसने शराब पीकर गॉव के लोगों को बुलाकर कार्यक्रम में हल्ला किया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षीगण ने अभियोजन घ ाटना से इंकार किया है।

(52) लेकिन उक्त दोनों ही साक्षीगण के मुख्य परीक्षण के पश्चात् अतिरिक्त रूप से उनका प्रतिपरीक्षण अतिरिक्त तथ्यों पर किया गया है तथा प्रतिपरीक्षण द्वारा अभियोजन घटनाक्रम को खण्डित करने का प्रयास किया गया है, जबकि उक्त साक्षीगण के मुख्य परीक्षण के तथ्य प्रतिपरीक्षण में पूछे गये प्रश्नों से पूर्ण रूप से असंगत रहे हैं।

(53) इस कारण उनका प्रतिपरीक्षण की साक्ष्य इस प्रकार की नहीं है कि अभियोजन घटना के मुख्य तथ्यों को अविश्वनीय माना जा सके। प्रकरण में महत्वपूर्ण यह भी है कि कौशल्या मरावी एवं सुदय सिंह मरावी

अभियोजन साक्षी के रूप में अभियोग पत्र में संलग्न किए गए थे, किन्तु उन्हे अभियोजन की ओर से गिवनअप (छोड़ा गया) किया गया। अर्थात् उनकी साक्ष्य अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में नहीं कराई गई, जबकि संपूर्ण घटना उक्त साक्षीगण के घर की है। इसका कोई विनिर्दिष्ट कारण अभियोजन की ओर से पेश नहीं है।

(54) इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण यह भी है कि विवेचना दौरान साक्षी उपनिरी. पारस यादव (अ.सा.–6) द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तारी पश्चात् आरोपी प्रमोद धुर्वे का प्र.पी. 11, अमित धुर्वे का प्र.पी. 12, संजय मरकाम का प्र.पी. 13, संतोष परस्ते का प्र.पी. 14, करन सिंह का प्र.पी. 15 का पूछताछ मेमो बनाया जाना बताया है तथा उक्त पूछताछ मेमो में बताये गये तथ्यों के आधार पर करन सिंह से प्र.पी. 16, छोटेसिंह से प्र.पी. 17, अमित धुर्वे से प्र.पी. 18, संजय से प्र.पी. 19, संतोष परस्ते से प्र.पी. 20 के जब्ती पत्रक अनुसार घटना में इस्तेमाल किए गये या घटना में सहायक मोटर सायकिल, मोबाईल, एक बुक जिसमे सूर्य किरण लिखा है, डायरी, एक नग कॉपी जब्त किए गये। उक्त पूछताछ मेमो का पूर्ण समर्थन साक्षी दिनेश्वर राजपूत व अंगद सिंह द्वारा अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में भी किया गया है, इस कारण उक्त पूछताछ मेमो के आधार पर जो सामग्री जब्त की गई है।

(55) न्यायदृष्टांत **मोहम्मत इनायतुल्ला वि0 स्टेट ऑफ महाराजष्ट्र ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 483** के न्यायदृष्टांत का अवलोकन किया जावे तो उक्त न्यायदृष्टांत के चरण 11 में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के निम्न लिखित अंग बतलाये गये हैं :–

1. सूचना देने वाले व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिये।
2. उसका पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिये।
3. उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिये।
4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।

5. चाहे वह साक्ष्य संस्वीकृति की कोटी में आता हो अथवा नहीं आता हो।

(56) यदि **स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध दामू गोपीनाथ सिंदे ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1691** के न्यायदृष्टांत का अवलोकन किया जावे तो उक्त न्यायदृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मूल रूप से पश्चात्वर्ती घटना द्वारा पुष्टिकरण के सिद्धांत पर आधारित है जो यह है कि अभियुक्त द्वारा सूचना के आधार पर यदि किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है तो यह सूचना के सत्य होने की गारंटी होती है, क्योंकि वस्तु जो बरामद की गई है, उसका ज्ञान अभियुक्त को था। उक्त विधि माननीय न्यायालय द्वारा **पुलकुरी कोटटा विरूद्ध एम्परर 1947 पी.सी. 67** के न्यायदृष्टांत पर विश्वास करते हुये प्रतिपादित की गई है।

(57) उक्त जब्त सामग्री को उप निरी. पारस यादव अ.सा. 6 द्वारा अपनी न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान प्रमोद धुर्वे से जब्ती पत्रक प्र.पी 4 के अनुसार जब्त किताब को एमओए, आरोपी अमित से प्र.पी. 18 के जब्ती पत्रक अनुसार जब्त किताब को एमओबी, आरोपी संजय से एक कत्थे कलर की डायरी प्र.पी. 19 के जब्ती पत्रक अनुसार जब्त किए जाने पर न्यायालय के समक्ष एमओसी, आरोपी संतोष से एक कॉपी प्र.पी. 20 के जब्ती पत्रक अनुसार जब्त किए जाने पर एमओडी, व आरोपी छोटेसिंह से मोबाईल प्र.पी. 17 अनुसार जब्त किए जाने पर एमओएफ, इसी प्रकार प्र.पी. 18, 19, 20 के अनुसार जब्त मोबाईल एमओजी न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित किए गये हैं।

(58) इससे स्पष्ट माना जा सकता है कि अभियोजन घटनाक्रम में सहयोगी के रूप में सम्मिलित उक्त सामग्री आरोपीगण से पूछताछ के पश्चात् उनके कब्जे से ही जब्त की गई है, जिसका पूर्ण समर्थन उक्त पूछताछ मेमो एवं जब्ती के साक्षीगण द्वारा ही अपनी साक्ष्य में किया गया है। इस कारण यह माना जायेगा कि मौखिक साक्ष्य का समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य से होता है तब बचाव पक्ष अर्थात् आरोपीगण पर यह दायित्व था कि वे न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित करे कि पुलिस द्वारा उनसे कोई पूछताछ

नहीं की गई है, या पूछताछ के बाद उनसे कोई सामग्री जब्त नहीं की गई है।

(59) आरोपीगण उक्त तथ्य को प्रमाणित करने में न्यायालय के समक्ष असफल रहे हैं तथा उक्त तथ्य को अप्रमाणित करने के लिए न तो आरोपीगण स्वयं बचाव साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश हुए हैं, तथा जो बचाव साक्षी सुदय मरावी ब.सा.2, एवं कौशल्या ब.सा. 1 की बचाव साक्ष्य पेश किए हैं, उनके द्वारा भी उक्त तथ्य के सम्बंध में न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

(60) इसके अतिरिक्त प्र.पी. 1 के अंगद सिंह मरावी के आवेदन के आधार पर प्र.पी. 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने के पश्चात् विवेचना दौरान अपनी प्रकरण को मजबूत करने के लिए अभियोजन की ओर से अंगद सिंह मरावी के प्र.पी. 10, शिवम पाठक के प्र.पी. 21, दिनेश्वर राजपूत के प्र.पी. 23, सरपंच अंगद सिंह के प्र.पी. 24 के धारा 164 दंप्रसं. के प्राथमिक कथन न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी के न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराये गये थे, उक्त कथनों में लिखे गये तथ्यों का पूर्ण समर्थन उक्त साक्षीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष किया है, तथा कथनों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

(61) प्रकरण की परिस्थिति इस प्रकार की है कि अभियोजन के समस्त साक्षीगण अपने दस्तावेजी, इस न्यायालय के समक्ष पेश मौखिक साक्ष्य, प्रकरण की विवेचना के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किए गये कथन में स्थिर रहे हैं, तथा उक्त सभी की साक्ष्य एकरूपता लिए हुए है।

(62) इस न्यायालय के मत में अभियोजन साक्षीगण की समस्त साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, जब्त सामग्री, पूछताछ दौरान बनाये गये पूछताछ मेमो, उक्त मेमो के आधार पर की गई जब्ती से प्रथम दृष्टि में यह तथ्य इस न्यायालय के मत में अखण्डित रहा है कि आरोपीगण करन सिंह, जीतसिंह, प्रमोद, अमित कुमार, संजय, संतोष, एवं छोटासिंह घटना दि. 27.04.2024 को रात 8 बजे सुदय सिंह के घर पर उपस्थित थे, तथा उनके द्वारा सुदय सिंह

एवं अन्य उपस्थित लोगों जैसे अंगद सिंह मरावी, अंगद सिंह बनवासी, मतिया बाई, शिवम पाठक, दिनेश्वर राजपूत आदि को यह बताया कि ईसाई धर्म श्रेष्ठ है, हिन्दू धर्म व उनके भगवान कोई काम के नहीं है, हिन्दू धर्म मानने से उन्हे परेशानी व पीड़ा होती है, उक्त भगवान को घर से फेंक दो, पूजा पाठ बंद कर दो।

(63) तथा ऐसा बोलकर उनके पूजास्थल को क्षति पहुंचाई, उक्त दौरान ही सभी आरोपीगण यह भी बोल रहे थे कि ईशू ही तुम्हारा सबकुछ है, ईशू धर्म अपनाने से उनकी परेशानी और कष्ट दूर हो जायेंगे। उन्हे बहुत पैसा मिलगा, उनकी गरीबी व परेशानी दूर हो जायेगी। ईशू ही सबसे बड़ा भगवान है, ईशनू धर्म अपना लो, तुम्हारा कोइ भगवान नहीं है। मना करने भी ऐसा करने से आरोपीगण नहीं माने, तथा मौके पर विवाद हुआ। अभियोजन के तथ्यों को देखते हुए इतनी अधिक स्पष्ट मौखिक साक्ष्य प्रकरण की तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए विश्वनीय होकर पर्याप्त है।

(64) उक्त सम्बंध में म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 2 (1)क प्रलोभन, धारा 2 (1)ख–प्रपीड़न, व धारा 2 (1)झ में उल्लेखित असम्यक असर का उपयोग किया व अपने धर्म का प्रचार करके, व दूसरे धर्म का अपमान करके धर्म के आधार पर समूह के बीच में शत्रुता व वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया, व फरियादीगण की व हिन्दू धर्म के देवी देवता व हिन्दू धर्म के बारे में बुरा बोलकर हिन्दू देव स्थान को क्षति पहॅुचा कर हिन्दू धर्म के लोगों के भावनाओं को आहत किया।

(65) उक्त कार्य सभी आरोपीगण ने सामान्य आशय बनाकर सामान्य आशय के अग्रशरण में किया, तथा उनके द्वारा उक्त कार्य द्वारा फरियादीगण को हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में संपरिवर्तन करने का दुस्प्रेरण व प्रयास किया। आरोपीगण द्वारा उक्त कृत्य एक से अधिक लोग या सुदय सिंह के घर में उपस्थित लोग व समस्त फरियादीगण अंगद सिंह मरावी, अंगद सिंह बनवासी, मतिया बाई, दिनेश्वर राजपूत जो आदिवासी समुदाय के होकर अनुसूचित जनजाति के हैं, व शिवम पाठक को सामूहिक रूप से प्रलोभन देकर ईसाई धर्म का प्रचार कर हिन्दू धर्म छोड़ने व ईसाई धर्म अपनाने का बोलकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया।

(66) अतः आरोपीगण संतोष परस्ते पिता अजीत परस्ते उम्र 22 वर्ष, संजय पिता बलदेवसिंह मरकाम उम्र 20 वर्ष, अमित कुमार पिता प्यारेसिंह उम्र 24 वर्ष, प्रमोद पिता प्यारेसिंह उम्र 28 वर्ष, करन सिंह पिता कलठू सिंह मरावी उम्र 40 वर्ष, छोट सिंह पिता बारेलाल धुर्वे उम्र 49 वर्ष सभी निवासी ग्राम दिवारी चौकी अमरपुर, थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.), एवं जीतसिंह पिता जानूसिंह उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरिया, चौकी अमरपुर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.) को धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए सहपठित 34 भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

(67) आरोपीगण को अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर थोड़ी देर बाद प्रस्तुत हो।

(शिव कुमार कौशल)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म.प्र.)

पुनश्च–

दण्डादेश

(68) दंड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से उपस्थित अपर लोक अभियोजक एवं आरोपीगण तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। आरोपीगण अधिवक्ता का कहना है कि आरोपीगण प्रथम अपराधी है, वे गरीब व्यक्ति है, नवयुवक हैं, और आरोपीगण के परिवार की जवाबदारी उन पर है। यदि आरोपीगण को अधिक दण्ड से दण्डित किया गया तो आरोपीगण के परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को कम से कम दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है। अभियोजन ने आरोपीगण को अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है।

(69) उभयपक्ष को सुना गया, दंड के प्रश्न पर रखे गये तर्कों के आलोक में संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपीगण द्वारा जिस प्रकार की घटना कारित की गयी, उक्त संबंध में अपराधी परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, तथा इस न्यायालय के मत में

आरोपीगण के कृत्य से सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक संरचना ध्वस्त होने की संभावना रहती है। एक ही परिवार एवं समाज में आपसी वैमनस्य उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जो सौहाद्रपूर्ण समाज एवं देश के लिए गंभीर होकर उक्त आरोपीगण का उक्त कार्य से सामाजिक भेदभाव, धार्मिक स्वतंत्रता को क्षति व धार्मिक वैमनस्यता बढ़ाने वाला है, जो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। इस कारण प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए उचित प्रकार से दण्डादेश भी दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपीगण के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध आरोपीगण को धारा–153–ए सहपठित धारा 34, 295–ए भा.द.सं. तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के आरोप में निम्नानुसार दण्डादिष्ट किया जाता है :–

आरोपी का नाम	धारा	दी गई मूल सजा	अर्थदंड के व्यतिकम में दी गई कारावास की सजा
1. संतोष परस्ते पिता अजीत परस्ते उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम दिवारी चौकी अमरपुर, थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	153–ए सहपठित धारा 34 भा0द0सं0	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/– (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	295–ए भा.द.सं. सहपठित धारा 34 भा.दं.सं.	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/– (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000/– (एक लाख रू) का अर्थदंड	एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास

2. संजय पिता बलदेवसिंह मरकाम उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम दिवारी चौकी अमरपुर, थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	153–ए सहपठित धारा 34 भा0द0सं0	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/– (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	295–ए भा.द. सं. सहपठित धारा 34 भा.दं. सं.	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/– (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000/– (एक लाख रू) का अर्थदंड	एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास
3. अमित कुमार पिता प्यारेसिंह उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम दिवारी चौकी अमरपुर, थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	153–ए सहपठित धारा 34 भा0द0सं0	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/– (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	295–ए भा.द. सं. सहपठित धारा 34 भा.दं. सं.	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/– (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000/– (एक लाख रू) का अर्थदंड	एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास

4. प्रमोद पिता प्यारेसिंह उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम दिवारी चौकी अमरपुर, थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	153—ए सहपठित धारा 34 भा0द0सं0	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/— (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	295—ए भा.द.सं. सहपठित धारा 34 भा.दं.सं.	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/— (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000/— (एक लाख रू) का अर्थदंड	एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास
5. करन सिंह पिता कलठू सिंह मरावी उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम दिवारी चौकी अमरपुर, थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	153—ए सहपठित धारा 34 भा0द0सं0	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/— (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	295—ए भा.द.सं. सहपठित धारा 34 भा.दं.सं.	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/— (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000/— (एक लाख रू) का अर्थदंड	एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास

6. छोट सिंह पिता बारेलाल धुर्वे उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम दिवारी चौकी अमरपुर, थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	153–ए सहपठित धारा 34 भा0द0सं0	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/– (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	295–ए भा.द.सं. सहपठित धारा 34 भा.दं.सं.	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/– (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000/– (एक लाख रू) का अर्थदंड	एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास
7. जीतसिंह पिता जानूसिंह उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरिया, चौकी अमरपुर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	153–ए सहपठित धारा 34 भा0द0सं0	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/– (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	295–ए भा.द.सं. सहपठित धारा 34 भा.दं.सं.	3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/– (एक हजार) का अर्थदंड	छः माह का अतिरिक्त कारावास
	मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5	5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000/– (एक लाख रू) का अर्थदंड	एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास

(70) आरोपीगण को उपरोक्त दी गई उक्त मूल सजा साथ–साथ भुगताई जावे। अर्थदंड के व्यक्तिक्रम में दी गई सजा एक के बाद एक भुगताई जावे।

(71) अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि दी गई कारावास की मूल सजा में समायोजित की जाए। न्यायिक निरोध की समयावधि के संबध में पृथक से धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर अभियुक्तगण के सजा वारंट के साथ संलग्न किया जाए। उपरोक्तानुसार सजा वारंट दो प्रतियों में तैयार कर अभियुक्तगण को सजा भुगताये जाने हेतु जिला जेल डिण्डौरी प्रेषित किया जावे।

(72) प्रकरण में जप्तशुदा मो0सा0 एवं मोबाईल फोन, बाईबिल की किताब व अन्य सामग्री उनके पंजीकृत स्वामी मॉग किए जाने पर अपीलावधि पश्चात् नियमानुसार प्रदान की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

(73) निर्णय की निःशुल्क प्रति आरोपीगण को प्रदत्त की जाए।

(74) दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 365 दं.प्र.सं. के तहत निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट डिण्डौरी को भेजा जावे।

(शिव कुमार कौशल)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म.प्र.)

(शिव कुमार कौशल)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म.प्र.)

SHIV KUMAR KAUSHAL

Digitally signed by SHIV KUMAR KAUSHAL
Date: 2026.06.12 11:39:25 +0530